

अफजल इमाम

बनाम

बिहार राज्य व अन्य

(सिविल अपील संख्या-2843/2011)

1 अप्रैल, 2011

[जे. एम. पांचाल और एच. एल. गोखले, न्यायाधीशगण]

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007- धारा 27, 25(4), 23(3), 21(3) और 21(4) - नगर निगम के महापौर के रूप में अपीलार्थी का चुनाव निगम अपीलार्थी ने सशक्त स्थायी समिति (Empowered Standing Committee) के लिए सात नगर पार्षदों को नामित किया अपीलार्थी के साथ-साथ अधिकार प्राप्त स्थायी समिति के सदस्यों को महापौर और सशक्त स्थायी समिति (Empowered Standing Committee) के सदस्यों के रूप में सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है: अभिनिर्धारित: हकदार - निर्णय में अलग से अनुसरण करने योग्य कारण शामिल हैं - धारा 27 को धारा 25(4), 23(3), 21(3) और 21(4) के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना है। नगर पार्षदों को धारा 24 के तहत गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 - जिला मजिस्ट्रेट पटना, बिहार को निर्देश जारी किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या-2843/2011

पटना उच्च न्यायालय, के सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 9981/2010 मे पारित के निर्णय और आदेश दिनांक 8.7.2010 से।

एस. बी. के. मंगलम, राजेश आनंद, आशुतोष पांडे, मधुमिता सिंह, अभय कुमार
अपीलार्थी की ओर से

संतोष मिश्रा, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, चंदन कुमार, संतोष कुमार त्रिपाठी,
नीरज शेखर प्रतिवादीगण की ओर से

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. अपील स्वीकार की गई। रिट याचिका संख्या सीडब्ल्यूजेसी 9981/2010 दिनांक 8 जुलाई, 2010 में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर उक्त रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 27 को उक्त अधिनियम की धारा 25 (4), 23 (3), 21 (3) और 21 (4) के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाएगा। प्रतिवादी संख्या 3, जिला मजिस्ट्रेट पटना, बिहार को अपीलकर्ता द्वारा सशक्त स्थायी समिति (Empowered Standing Committee) में नामित सात नगर पार्षदों को अधिनियम की धारा 24 के तहत गोपनीयता की शपथ दिलाने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ता के साथ-साथ सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, महापौर और सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में प्रदान की गई सभी शक्तियों का विधि के अनुसार उपयोग करने के हकदार होंगे।

3. निर्णय में अलग से अनुसरण करने योग्य कारण शामिल हैं।

एन. जे.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।